

1. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

2. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

100 100

3. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

100-2014

4. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

100-2014

5. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

100-2014

6. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

100-2014

7. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

100-2014

8. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

100-2014

9. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

100-2014

10. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

100-2014

11. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

10,040.0

12. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

16-Jan-2014

13. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

14. अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

16-Jan-2014

अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh
e-Stamp




MOHD. SHARIF KHAN
Manager, **SANGINI** MANAGER
2222 Banking Corporation of India Ltd.
22 Floor, Ekamra Complex, Bahadurganj,
VARANASI-221019

IN UP/PS/18/2019/1000246811/715738A
SANGINI COMMERCE PVT LTD
SANGINI (P) LIMITED VARANASI (P) LTD VARANASI-221019
SUBIN UP/PS/18/2019/1000246811/715738A
SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT LTD
Article 2 Agreement or Memorandum of an agreement
ARAZI NO. 393/1, 397/1, 403/2, 404, 405/1 MALIYA BARABPUR
PARGANA SHIVPUR TEHSIL SADAR DIST VARANASI

₹
(Zero)
SANGINI COMMERCE PVT LTD
SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT LTD
SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT LTD
1,21,59,000
(One Crore Twenty One Lakh Fifty Nine Thousand only)

1 Party
2 Party
3 Party
4 Party
5 Party
6 Party
7 Party
8 Party
9 Party
10 Party
11 Party
12 Party
13 Party
14 Party
15 Party
16 Party
17 Party
18 Party
19 Party
20 Party
21 Party
22 Party
23 Party
24 Party
25 Party
26 Party
27 Party
28 Party
29 Party
30 Party
31 Party
32 Party
33 Party
34 Party
35 Party
36 Party
37 Party
38 Party
39 Party
40 Party
41 Party
42 Party
43 Party
44 Party
45 Party
46 Party
47 Party
48 Party
49 Party
50 Party
51 Party
52 Party
53 Party
54 Party
55 Party
56 Party
57 Party
58 Party
59 Party
60 Party
61 Party
62 Party
63 Party
64 Party
65 Party
66 Party
67 Party
68 Party
69 Party
70 Party
71 Party
72 Party
73 Party
74 Party
75 Party
76 Party
77 Party
78 Party
79 Party
80 Party
81 Party
82 Party
83 Party
84 Party
85 Party
86 Party
87 Party
88 Party
89 Party
90 Party
91 Party
92 Party
93 Party
94 Party
95 Party
96 Party
97 Party
98 Party
99 Party
100 Party



Please write or type below this line.

COMMERCE PVT. LTD.
[Signature]
DIRECTOR

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.
[Signature]
DIRECTOR

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.
[Signature]
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



10 JAN 2014

₹.5000


Rs.5000

व हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

UTTAR PRADESH

AP 261415



डेवलपर्स विलेख

संगिनी कामर्स (प्रा०) लिमिटेड, भारतीय कम्पनीज अधिनियम 1956 के अधीन निगमित व पंजीकृत कम्पनी, पंजीकृत कार्यालय हवेली ग्राउण्ड फ्लोर-17, बालमुकुन्द मकूर रोड, कोलकाता बजरिये निदेशक मधुकर मौर्य पुत्र ओमकार मौर्य निवासी अक्या, परगना शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी।

For-SANDB COMPT

Handwritten signature
DIRECTOR

प्रथम पक्ष/भ-स्वामी
SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.
SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Handwritten signature
DIRECTOR

Handwritten signature
DIRECTOR

भारतीय रिजर्व बैंक / INDIAN RESERVE BANK OF INDIA

हजार रुपये
₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

UTTAR PRADESH

AG 149196

व

शिवि विनायक इन्फ्र विलेज प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय
 कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन विनियमित व पंजीकृत
 कम्पनी, पंजीकृत कार्यालय बी-31/30, संजय कालिंग,
 रविदास गेट के सामने, संजय, वाराणसी बजारिये विदेशक
 सिटीय डिस्ट्रिक्ट का पुत्र श्री अतुल कुमार डिंडवानिया निवासी
 प्लॉट नम्बर 44ए, रविन्दपुरी कालोनी, भेलूपुर, शहर
 वाराणसी व सजय कुमार सिंघी पुत्र स्वर्गीय सत्य नारायण
 प्रसाद सिंघी निवासी मकान नम्बर बी-20/44-ए-2ख,
 विजया नगरम् कालोनी, भेलूपुर, शहर वाराणसी।

द्वितीय पक्ष/डेवलपर

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD

Siddhee Vinayak Infra Village Pvt. Ltd.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Sujan Kumar Singh
DIRECTOR

[Signature]


[Signature]
DIRECTOR




भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON-JUDICIAL

हजार रुपये
रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs. 1000

18 JAN 2014

UTTAR PRADESH

AG 149195

3

उदित हो कि आराजी नम्बर 393/1, 394/1, 395/2, 396, 397/1, 403/2, 404, 405/1, जुमला आठ गांव सख्या 36045.5 वर्गमीटर स्थित मौजा बरईपुर, परगना शिवपुर, तहसील सदर, जिला वाराणसी जो प्रथम पक्ष ने जदिये 67 कित्ता रजिस्ट्रीशुदा बैवागा बरखज कीमत कमिल मालिकान आराजियात मजकूर हुदय नारायण पाठक वर्गैरह से क्यकर हसिल किया है। उक्त क्यशुदा जायदाद मौके पर एकजाई है जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत मालिक काबिज इखील रहकर हर फेल मालिकाना अमल में लाता घला आ रहा है और जिस पर प्रथम पक्ष भूस्वामी का नाम कामलात माल अतीनी ने बरखिवाच पंजीकृत बैवामाजात मजकूर बरखरज नाम विक्रेतायण बहैसियत मालिक भूमिघर दर्ज चला आ रहा है और जिसके प्रथम पक्ष तबहां स्वामी है जिसके स्वत्व, अधिकार, हित एवं अध्यासज से किसी दीगर शख्स का कोई वास्ता सरोकार किसी किरान का नहीं है और जो पाक साफ बियाद रहित है और उक्त सम्पत्ति पर किसी वित्तीय संस्था से ङण नहीं लिया गया है। प्रथम पक्ष अपनी क्यशुदा आराजियात मजकूर में से आराजी नम्बर मि० 393/1 व आराजी नम्बर 394/1 व आराजी नम्बर 395/2 व आराजी नम्बर 396 व मि० 397/1 व आराजी नम्बर 404 का जुज अपने मजगाफिक उपयोग उपभोग के लिए अलहदा व

For SIDDHEE COMMERCE PVT. LTD.


SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



भारतीय गैर न्यायिक

1 JAN 2014

हजार रुपये
₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

UTTAR PRADESH

AG 149194

सुगमता कर लिए है। प्रथम पक्ष का उपयुक्त अवशेष रकबा सीके पर
 कायम रकबा लिए अवस्था में पता हुआ है जिस पर प्रथम पक्ष
 से-हाउसिंग/ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना
 था तथा है किन्तु प्रथम पक्ष को निर्माण का तकनीकी अनुभव नहीं है जिस
 कारण प्रथम पक्ष उक्त निर्माण कार्य को मूर्त रूप देने में सक्षम नहीं व
 अनुभवा सहजता कर रहा है। द्वितीय पक्ष को से-हाउसिंग/ग्रुप हाउसिंग
 फ्लैट/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं विकास का बृहद तकनीकी
 अनुभव प्राप्त है। प्रथम पक्ष की इच्छा थी जातकारी होने पर द्वितीय पक्ष ने
 अयोग्यता सम्पत्ति पर से-हाउसिंग/ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक
 कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रथम पक्ष से समर्थ किया और हम प्रथम पक्ष
 को अयोग्यता सम्पूर्ण सम्पत्ति पर से-हाउसिंग/ग्रुप हाउसिंग
 फ्लैट/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण व विकास करने हेतु अपनी सहमति
 प्रदान किया। द्वितीय पक्ष तकनीकी व वित्तीय रूप से समर्थ होने के कारण
 से-हाउसिंग/ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण व
 विकसित करने में पूर्णतः समर्थ है।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष की क्षमता व अनुभव को दृष्टिगत रखते
 हुए अपने वांछित भोक्तृता को विकास प्राधिकरण से मान्यता स्वीकृत कराकर

SHRI ANAND COMMERCE PVT. LTD.


SHRI ANAND COMMERCE PVT. LTD.

SHRI ANAND COMMERCE PVT. LTD.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON-JUDICIAL

हजार रुपये
₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

10 JAN 2014

भारत
INDIA

UTTAR PRADESH

5

AG 149193

मूल रूप देने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा अधोलिखित सम्पत्ति को विकसित करने व से-हाउसिंग/ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्मित करने हेतु उसकी योजना पर प्रथम पक्ष ने अपनी सहमति व्यक्त किया। उभय पक्ष के बीच उक्त विकास योजना के सम्बन्ध में जो शर्तें तय हुई हैं उन्को लिखित किया जाना विधान आवश्यक है। अतएव परामर्श स्वेच्छपूर्वक स्वस्थ मंत्र सल्लिष्क की दशा में बिना किसी अधुचित दबाव या प्रलोभन के स्वीकृत शर्तों एवं संविदा के सम्बन्ध में यह विलेख निष्पादित कर अपने-अपने को व अपने-अपने उत्तराधिकारियों तथा व्याजापन्न प्रतिनिधियों को निम्नलिखित शर्तों से आवद्ध करते व होते हैं :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष से-हाउसिंग/ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना व विवरण तैयार करेगा तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग से प्रथम पक्ष की ओर से जहाँ-जहाँ आवश्यक हो अपने हस्ताक्षर द्वारा उसे स्वीकृत करायेंगा। उसमें आने वाले समस्त खर्चें द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगा। प्रथम पक्ष के नाम स्वीकृत मानचित्र द्वितीय पक्ष का मानचित्र मान्य समझा जायेगा।

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT

SHRI RAMJI COMMERCE PVT. LTD.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.


Sajan Kumar S

DIRECTOR

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

DIRECTOR



एक हजार रुपये
रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs. 1000

UTTAR PRADESH

AG 149192

यह कि अधोलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष भूदान, प्रयत्न व द्वितीय पक्ष अथवा जिसने मसौ का निर्माण विनास प्राधिकरण द्वारा अनुमति से उत्पन्न निर्माण कार्यालय जिन्होंने पुल निर्मित कंपनी ने प्रयत्न पक्ष का अंश 40 प्रतिशत एवं द्वितीय पक्ष का अंश 60 प्रतिशत होगा, जिन्होंने निर्माण में होने वाले समस्त खर्च का वहन द्वितीय पक्ष ही करेगा। यदि इसके अतिरिक्त परामर्श की आपसी सहमति से स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त कोई मजौद निर्माण कराया जायेगा तो उसे द्वितीय पक्ष अपने खर्च से निर्मित करेगा और उसमें भी परामर्श का अंश उनके उपरोक्त अनुपात के अनुसार ही रहेगा किन्तु ऐसे अतिरिक्त निर्माण हेतु आवश्यकतावुसार ऋण योग्य एक.ए.आर. (नगरीय विकास शुल्क) खरीदने का मूल्य व आयद होने वाले अर्चदन्ड, एम्पाउन्डिंग शुल्क आदि की अदायगी परामर्श अपने अपने उपरोक्त अंशानुसार ही करने के जिम्मेदार होंगे।

3. यह कि वायणसी विकास प्राधिकरण, बाराणसी अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग से तथा आवश्यक बचसा स्वीकृत होने के उपरान्त उभय पक्ष आपसे-अपने अंशों को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित कर लेवेगें और

For SANSI COMMERCE PVT. LTD.



SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Natasha Narayan
DIRECTOR

Natasha
DIRECTOR

Sujan Kumar Singh
DIRECTOR



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

U.P. PRADESH

AG 149191

इसको लिए आपसी इच्छा पर मुक्तव/विषादित कर लेवेंगे जो इत
देखलपर विलेख का अंन समझा जावेगा।

4. वह कि द्वितीय पक्ष वास्तवी विकास प्राधिकरण अथवा सन्धनित
विभाग से मानचित्र स्वीकृत कराकर उसके अनुसार निर्माण कार्य पूरा
करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा और इसमें आवे वाले
समस्त कार्य/पत्राशि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी जिससे
प्रथम पक्ष का कोई वास्ता सरोकार न होगा।

5. वह कि द्वितीय पक्ष स्वीकृत योजना के अनुरूप समस्त निर्माण कार्य
गुणवत्ता के अनुसार नियमों के अधीन व मानक के अनुसार निर्माण
सामग्री का इस्तेमाल कर पूरा करावेगा तथा सभी सिनेटरी व अन्य
आवृत्ताधिक फिटिंग भी मानक के अनुरूप ही लगावेगा।

6. वह कि पक्षगण निर्मित भवन में मानचित्र के अनुरूप विषादित
अपने-अपने अंशों का उपयोग उपभोग चाहे तो स्वयं करे अथवा
अपने-अपने सामितीज को अपने अंश पर कायित करावे अथवा
अपने-अपने अंश का विक्रय अपनी स्वेच्छानुसार इच्छुक अशख्त को
करके कच्चा बखल प्रदान कर देवे इसमें किसी पक्ष को किसी प्रकार
का कोई ऐतराज न होगा।

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

For: JANGAM CONNEXCE PVT. LTD. SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Shakti Kumar
DIRECTOR

Nitin
DIRECTOR

Sujan Kumar Singh
DIRECTOR





Uttar PRADESH

8

AG 149190

यह कि प्रथम पक्ष को अपने अंश में आवंट होने वाले 40 प्रतिशत निर्मित अंश व तदनुसार आनुपातिक भूमि स्वत्वा तथा द्वितीय पक्ष को अपने अंश में आवंट होने वाले 60 प्रतिशत निर्मित अंश व तदनुसार आनुपातिक भूमि स्वत्वा का इच्छुक आह्वानों के हक में अंतरण करने व अंतरण विलेख निष्पादित कर, पंजीकृत कराने का स्वतन्त्र अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष अपने निर्मित अंश मय आनुपातिक भूमि स्वत्वा के वाकत अपने अन्तर्गत के हक में विक्रय विलेख निष्पादित करने व जेतायण का उस पर अध्यासन कराने के लिए अपने हस्ताक्षर से सक्षम व स्वतंत्र होगा जिसके लिए प्रथम पक्ष जरूरी विलेख राजा द्वितीय पक्ष को प्राधिकार प्रदान करने हुए उन्हें प्राधिकृत करता है।

यह कि इस अनुबन्ध पत्र में दिये गये शर्तों के तहत निर्माण कार्य सम्पादित हो सके, इसके लिए प्रथम पक्ष विलेख राजा द्वारा द्वितीय पक्ष को प्राधिकृत करता है कि वह प्रथम पक्ष की जगह इस अनुबन्ध पत्र के अनुरूप कार्य करने के लिए जहां-जहां आवश्यकता हो वहां-वहां प्रथम पक्ष की ओर से अपना स्वयं हस्ताक्षर करे व

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

For SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.



Handwritten signature

Handwritten signature

Sajan Kumar Singh

DIRECTOR

DIRECTOR





जहाँ के अनुसार आवश्यक अनुमति आदि हासिल करें व निर्माण कार्य पूर्ण करवें।

वह कि योजना के अनुरूप निर्मित भवन के पैसेज, गैलरी, सीढ़ी या लिफ्ट तथा भवन में आने-जाने का रास्ता और अपोलिखित सम्पत्ति का वह अंश जिस पर कोई निर्माण नहीं रहेगा बल्कि वह बरकरार खुला रहेगा वे सभी कामना रहेगी जिस पर किसी भी पक्ष को किसी प्रकार का निर्माण करने अथवा उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होगा।

10. वह कि प्रथम पक्ष ने जायदाद हस्त तफसील जैल पर आज की तिथि में द्वितीय पक्ष का वास्तविक अध्यासन करा दिया है। द्वितीय पक्ष को आवश्यक होगा कि धारणशी विकास प्राधिकरण, धारणशी से मानचित्र स्वीकृत होने की तिथि से 84 माह यानि सात साल के अवधि हकीकत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न करा देवे। किसी प्राकृतिक आपदा अथवा ऐसी किसी बाधा जिस पर द्वितीय पक्ष को कोई नियंत्रण न हो, के कारण निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में ऐसी अवधि 84 माह की गणना में नहीं मानी जावेगी। द्वितीय पक्ष विकासकर्ता को लाजिमी होगा कि तदनुसार

For SANGHATI COMMERCE PVT. LTD. SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Manish Kumar
DIRECTOR

Nitin Singh
DIRECTOR

Singh
DIRECTOR



UTTAR PRADESH

10

AG 149188

विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत निर्माण को विहित रूप में पूर्ण करा देने किन्तु यदि किसी कारणवश अनुसूचित निवास अर्थात् में सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होना सम्भव न हो पाये तो उस सूक्त में प्रदान पत्र सु-स्वास्थ्य को 40 प्रतिशत निर्माण कार्य उत्तम अर्थात् में अर्थात् उस पर प्रदान पत्र का अन्वयन करा देवे।

11. यह कि निर्माण कार्य के दौरान किसी आचरितक पट्टा या परिशिष्टित पत्रानु अथवा कोई पत्र शारीरिक/विकिक रूप से अक्षय हो जाने से उस दस्त में उसके उत्तराधिकारी अथवा स्थापना प्रतिनिधि को वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो इस विनियम के तहत पत्रानु अथवा सम्बन्धित पत्र को प्राप्त है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे सम्बन्धित पत्र का उत्तराधिकारी अथवा स्थापना प्रतिनिधि इस विनियम की शर्तों से बाबन्द होगा एवं उसका अनुपलब्ध नियमनुसार कर लेने का अधिकारी होगा।



12. यह कि द्वितीय पत्र सम्बन्धित के अनुसूचित निर्धारित प्रत्येक तल पर प्रदान पत्र के अंश में जाने वाले 40 प्रतिशत निर्मित अंश को पूर्ण रूप से विहित कार्य अर्थात् उसमें रंग, वायरिंग, प्लम्बिंग

For-Sudam Commerce Pvt Ltd, SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT LTD

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT LTD

Naresh Kumar Singh
DIRECTOR

Nishu Sujan Kumar Singh
DIRECTOR





Uttar PRADESH

AG 149187

कार्गोविल मार्बल, टर्निस, सीवर लाईन, सिड्की, दरवाजा आदि फर्निश कर प्रथम पक्ष को अध्याहित करावेगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के पूर्णता हेतु स्वयं मजदूर, इंजीनियर, ठेकेदार, सहभागीदार आदि नियुक्त करने का अधिकारी होगा जिसमें प्रथम पक्ष किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु ऐसे व्यक्तियों के किसी कार्य या कार्य लोप की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की न होगी।

14. यह कि विलेख हाजा पक्षगण के बीच सामान्य अनुबन्ध बराबर डेवलपर्स विलेख एवं सम्पूर्ण अधिकार के रूप में तहरीर हो रहा है इससे उभय पक्ष के मध्य कोई साझेदारी उत्पन्न नहीं हो रही है। उभय पक्ष की आपसी सहमति के बिना विलेख हाजा किसी भी दशा में निष्पत्ती व शून्य न होगा। विलेख हाजा के अनुसार द्वितीय पक्ष निर्मित होने वाले भवन में अपने हिस्से के 60 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल मय आनुपातिक अविभाजित भूमि क्षेत्रफल व खुले भूभाग में पूर्ण हक बाबत कच्चे मुताकिल प्राप्त कर रहा है एवं उसी रूप में प्रथम पक्ष मुताकिल नक्शा 40 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल मय आनुपातिक अविभाजित भूमि क्षेत्रफल व खुले भूभाग का हक प्राप्त

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

For SANGVI COMMERCIAL PVT. LTD.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Sajan Kumar Singh
DIRECTOR

Madhukar Kauriya

N. K. Singh
DIRECTOR



DIRECTOR

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



एक हजार रुपये
1000

ONE THOUSAND
Rs.1000

UTTAR PRADESH

12

AG 149186

1. कर्ता। पुनः सुझाव पर किसी प्रकार का कोई निर्माण न होगा एवं
2. उक्त भूजा स्थल जमीन का क्षेत्रफल भी प्रथम पक्ष व द्वितीय
3. पक्ष के मध्य उनके अनुसूचित धर्मि 40:60 के अनुपात में होगा।
4. यह कि प्रथम अपने-अपने अंश के निर्मित भाग का विजली,
5. पानी, गैस का उचित निर्माण की पूर्णता के पश्चात् स्वयं पड़न
करें।

16. यह कि प्रस्तावित भवन के निर्माण के पश्चात् जब तक प्रस्तावित
भवन के अन्दरिणी की हाउसिंग सोसायटी अस्तित्व में नहीं आ
जाती तब तक उक्त भवन के बाहरी व कामकाज पैकेज एवं अन्य
कामकाज का ही देख-रेख सफाई व्यवस्था सामान्य महत्त्वता, पूना
करी एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रथम अपने-अपने अंशानुसार
अनुपात रूप से निर्वहण करें।

17. यह कि करिये क्लिअर राजा प्रस्तावित भवन के 60 प्रतिशत अंश मध्य
अनुसूचित भूमि को विक्रय करने, विक्रय हेतु अनुसूचित करने, किराये
पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का
अधिकार द्वितीय पक्ष को एवं 40 प्रतिशत अंश को विक्रय करने,
विक्रय हेतु अनुसूचित करने, किराये पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

For-Siddhi Commerce Pvt. Ltd.



Hasthantika Naraya

DIRECTOR

M. K. Sajan Kumar

DIRECTOR

DIRECTOR





UTTAR PRADESH

AG 149185

उपरोक्त उपयोग करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष जरिये विलेख राजा द्वितीय पक्ष को प्राधिकृत करते है। यह कि जायदाद, जिसके संबंध यह डेवलपर्स विलेख निष्पादित किया जा रहा है, में प्रथम पक्ष के स्वत्व, अधिकार एवं अध्यासन के संबंध किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यदि जायदाद हस्तगत तफसील जैल में प्रथम पक्ष के स्वत्व, अधिकार, हित एवं अध्यासन में किसी प्रकार का दोष जाहिर या साबित हो और उसकी वजह से किसी प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न हो तो उसे सुसझाने एवं ऐसे दोष से जायदाद दोषमुक्त कराने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी और ऐसी परिस्थिति से कार्य सम्पादन में व्यवधान होने पर, व्यवधान मुक्त होने तक के समय की गणना निर्धारित अवधि यानि 84 माह में नहीं की जावेगी अतः इसके ऐसे दोष या परिस्थिति से द्वितीय पक्ष को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति करने व सम्पूर्ण जमानत धनराशि मय ब्याज द्वितीय पक्ष को अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर होगी।

19. यह कि निर्माण कार्य के दौरान किसी दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी, मजदूर अथवा किसी व्यक्ति को कोई घोट या क्षति पहुंचे



SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

For-SANGMI COMMERCE PVT. LTD.

Manoj Kumar
DIRECTOR

Atul Singh
Sujan Kumar
DIRECTOR





AG 149184

14

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50


के अन्तर्गत पूर्ण जिम्मेदारियों द्वितीय पक्ष केवलपर ही होगी। प्रथम पक्ष के अन्तर्गत कोई बंधन स्वीकार किसी किस्म का नहीं होगा।
 का कि किसी पक्ष को अपने अंश में अतिरिक्त किसी दूसरे पक्ष के हिस्से के भाग मजदूर का कोई अंश विज्ञापन करने, बंधक रखने अथवा विज्ञापन हेतु अनुमति देने का अधिकार न होगा। परन्तु पक्ष का दिन, अधिकार एवं स्वयं अपने अंश तक ही सीमित रहेगा।
 यह कि द्वितीय पक्ष योजनानुसार भवन निर्माण में लगने वाली सम्पूर्ण धनराशि की बदला में स्वयं या स्वयं के दायित्व पर किसी भी शिवालय अथवा शिव पीठ संस्था द्वारा करावेगा और आवश्यकता पड़े पर प्रस्तावित इमारत के निर्माण हेतु अपने 60 प्रतिशत अंश को ही बंधक रख सकेगा प्रथम पक्ष के 40 प्रतिशत अंश को किसी भी दशा में प्रथम पक्ष द्वारा कार्य मजदूर के बाधक लिये जाये किसी भी अथवा धनराशि को उदा करने की कोई जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की न होगी न ही उसका कोई प्रभाव प्रथम पक्ष के हक हिस्सा यानि 40 प्रतिशत इमारत मजदूर पर नहीं होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा लिये जाये


SIDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.
 SIDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

FOR SAPOINI COMMERCIAL PVT LTD

Madhukar Narayan
 Director

Atul Sajan Kumar Singh
 DIRECTOR





UTTAR PRADESH

15

AG 149183


22. जन के सुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष एवं उसके 60 प्रतिशत अंश भवन मजदूर पर होगी।
 वह कि द्वितीय पक्ष ने मुबलिय 4,50,00,000/- (चार करोड़ पचास लाख रुपया) बतौर जमागत धनराशि के प्रथम पक्ष को अदा करना स्वीकार किया है जिसमें से आपसी तय के मुताबिक द्वितीय पक्ष ने दो करोड़ रुपया प्रथम पक्ष को अदा कर दिया है जिसका विवरण विलेख हाजा के अन्त में 'विवरण अदायगी जमागत धनराशि' में विस्तृत रूप से उल्लिखित किया जा रहा है जिसकी पावती प्रथम पक्ष स्वीकार करते है। अवशेष जमागत धनराशि मुबलिय 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रुपया) प्रथम पक्ष द्वारा अपने मन्वगाधिक उपयोग हेतु अलहदा किये गये मूखण्ड मजदूर के बाबत वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी में प्रस्तुत संशोधित मावधित्र स्वीकृत होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष निश्चित रूप से प्रथम पक्ष को अदा कर देवेगा जिसकी पावती प्रथम पक्ष हस्ताक्षरित कर द्वितीय पक्ष को प्रदान कर देवेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा बतौर जमागत प्रथम पक्ष को प्रदान की गयी धनराशि प्रथम पक्ष के अंश में आबद होने वाले निर्मित भाग से प्रथम बिक्री यानि उद्घाटन बिक्री के

For SARDINI CONCRETE PVT. LTD.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Madhu K...
 DIRECTOR

Nitin Sajon Kumar Singh
 DIRECTOR





समय प्रमाणी व लागू होने वाले विधियों व सुविधाओं के साथ
 जद्वारेपित आपसी तब दर के मुताबिक गुजरा कस्के उतनी धनराशि
 का निर्मित भाग द्वितीय पक्ष को प्रदान कर दिया जावेगा जववा
 प्रथम विधि के समय प्राप्त होने वाली धनराशि से द्वितीय पक्ष को
 उक्त जमानत धनराशि अनिवार्य रूप से अदा कर दी जावेगी जिसे
 प्रथम पक्ष स्वीकार करते है।

23. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित भूखण्ड पर अपने फर्म का सार्जन
 बोर्ड लगावे का अधिकार होगा यदि प्रथम पक्ष के नाम वास्तवसी
 विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किया जाता है तो उस दशा
 में वह स्वीकृत मानचित्र द्वितीय पक्ष के नाम से माना व समझा
 जावेगा जिसमें प्रथम पक्ष कोई आपत्ति नहीं है जिसे प्रथम पक्ष
 स्वीकार करता है।

24. यह कि विलेख में अन्तर्निहित सम्पत्ति खुला भूखण्ड है जिस पर
 किसी प्रकार का कोई ताम्बीरात नहीं है और प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय
 पक्ष को बराबल खुली अवस्था में ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के
 लिए उपलब्ध करायी जा रही है और उक्त सम्पत्ति पर किसी
 वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया गया है।

For SANGINI COMMERCE PVT. LTD. SIDHHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Handwritten signature



DIRECTOR

Handwritten signature

DIRECTOR

Handwritten signature: Sajan Kumar Singh

DIRECTOR





25. यह कि विलेख राजा में अन्तर्गत भूखण्ड जिलाधिकारी द्वारा चिह्नित किसी मार्ग पर स्थित नहीं है नकि सामान्य गैर चिह्नित पक्की सड़क से लटे भूखण्ड के अंश पर वाई सारणाव में स्थित खुला भूखण्ड है जो किसी व्यावसायिक गतिविधि से संलग्न नहीं है।

26. यह कि संपत्ति के कुल रकबा 16718 वर्गमीटर की सरकारी मालियत 10,300/- रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से मुबलियत 17,21,95,400/- व 20 गुणे 20 फीट आवासीय टैन शेड यादि 37.174 वर्गमीटर की कीमत 6000/- रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से 2,23,044/- रुपया व 25 फीट गुणे 25 फीट एक मजिला पक्का निर्माण यादि 58.085 वर्गमीटर की कीमत 14000/- रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से 8,13,190/- रुपया व दो तरफ जर्जर मिट्टी पड़ी बहासीवारी व किता लोहे के गेट की अनुमानित कीमत 9,54,000/- रुपया आणणित करते हुए तथा पांच पेड़ अमि की कीमत 12000/- रुपया प्रति पेड़ की दर से 60000/- रुपया तीन पेड़ बीज, बारह पेड़ अशोक व दो पेड़ निसोडा की कीमत 6000/- रुपया प्रति पेड़ की दर से 1,38,000/- रुपया व पांच पेड़ सागीच की कीमत 18000/- रुपया प्रति पेड़ की दर से

[Signature]
DIRECTOR

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.
For: SANGAMI CONNEXENCE PVT. LTD.
[Signature]
DIRECTOR



₹. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

18

BV 622181

✓

90000/- बाकि कुल पेड़ों की कुमला कीमत 2,88,000/- रुपया
 तथा एक अदर कमरसेकुल की कीमत 100000/- रुपया जोड़ते हुए
 कुल मूल्यांकन 17,39,73,634/- रुपये अर्थात पूर्णांक
 17,39,74,000/- रुपया होती है जिस पर स्टाम्प नियमानुसार
 1,21,78,180/- रुपये का देय होता है लिहाजा द्वितीय पक्ष द्वारा
 1,21,79,000/- रुपये का स्टाम्प द्वितीय पक्ष द्वारा अदा किया जा
 रहा है जिसमें 20,000/- रुपये का भारतीय नैट व्यायिक मुद्रित
 स्टाम्प व 1,21,59,000/- रुपये का ई-स्टाम्प सम्मिलित है।
 इस धारसे यह डेवलपर्स विलेख हम पक्षकारणों ने पढ़कर व
 पढ़ाकर, सुब व समझकर इसके प्रभाव से पूरी तरह वाकिफ होते हुए लिख
 दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

'विवरण अदायगी जमावत धनराशि'

बैंक संख्या 000009 दिनांकित 27-11-2013 उपर बैंक आफ बड़ीदा,
 शाखा लंका, धाराणसी मालियती गु0 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपया)
 व बैंक संख्या 000013 दिनांकित 16-01-2014 उपर बैंक आफ बड़ीदा,
 शाखा लंका, धाराणसी मालियती गु0 50,00,000/- (पचास लाख रुपया)
 व बैंक संख्या 000014 दिनांकित 16-01-2014 उपर बैंक आफ बड़ीदा,

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Handwritten signature

Atish Sajon Kumar Sir

DIRECTOR

DIRECTOR





UTTAR PRADESH

19

BV 622182

गाथा संका, जयमती मालिकी नु० 50,00,000/- (पचास लाख रुपया)
 कुल मुकदमा 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपया)

विवरण जायदाद जिसके बाबत मौजूदा

डेवलपर्स विलेज तहसीर हो रहा है

आराजी नम्बर 393/1 रकबा 2693 वर्गमीटर, आराजी नम्बर
 397/1 रकबा 5489 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 403/2 रकबा
 223 वर्गमीटर आराजी नम्बर 404 रकबा 2568 वर्गमीटर व
 आराजी नम्बर 405/1 रकबा 5745 वर्गमीटर कुमला पांच गाटा
 रकबा 16718 वर्गमीटर स्थित मौजा बरईपुर, परगना शिवपुर,
 तहसील सदर, जिला गायमती जो संलग्न कक्षा बजरी में ताल
 तिरछी लकीरों से दर्शाया गया है, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं

विम्बलिखित है :-


For-SANGHI COMMERCE PVT. LTD.

Naresh Kumar
 DIRECTOR



SIDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Naresh
 DIRECTOR



SIDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT

Sujan Kumar
 Sr. DIRECTOR



एकपये

100



Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

20

BV 622183

पूर्वकः जुज आराजियात नम्बरी 397, 404 व 405 दीगर शक्य।

पश्चिम : सड़क आसापुर-सारनाव मार्ग व जुज आराजियात नम्बरी 393/1 व 403/2 प्रथम पक्ष।

उत्तर : जुज आराजियात नम्बरी 395, 396 व 404 प्रथम पक्ष व आराजी नम्बर 406 व 407 दीगर शक्य।

दक्षिण : जुज आराजी नम्बरी 397/1 प्रथम पक्ष।

गवाहान :-

1. नाम : Ashok K. Pandey
पिता का नाम : Ashok K. Pandey
पूरा पता : K-61/90, Panchsala
हस्ताक्षर : [Signature]

2. नाम : सुशील कुमार सिन्हा
पिता का नाम : स्व. लक्ष्मी सिन्हा
पूरा पता : 21- मीरपुर, पो. दामापुर, बलरामा
हस्ताक्षर : सुशील कुमार सिन्हा

For-SANGHI COMMERCE PVT. LTD.

BIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. L


BIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

[Signature]

DIRECTOR

[Signature]

DIRECTOR





सहीर तारीख :- 18-01-2014

गलतियां :-

जयभोज सिंग
एग्रेजेंट
एलेक्ट्रिक परिसर, काठमांडू।

दर्शकता :-

मनोज भास्कर
मनोज भास्कर,
दीवानी कचहरी, काठमांडू।


For SANDHI COMMERCE PVT. LTD.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

[Handwritten Signature]

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.
DIRECTOR

[Handwritten Signature]
SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.
DIRECTOR





कंपनी का विवरण :-

सिद्धी विनायक (प्रा.) लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन विरचित व
 कंपनी, पंजीकृत कार्यालय स्थानी गण्ड प्लॉट-17, सतगुरुन्द मकद रोड, कोमपाला
 सिद्धी मण्डल मौर्य पुत्र ओमकार मौर्य विवासी अका, परगना शिवपुर, तहसील व जिला

कंपनी का विवरण :-

सिद्धी विनायक इन्फ्रा विलेज प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन
 व पंजीकृत कंपनी, पंजीकृत कार्यालय बी-31/30, लख जमिन, रविपाम बेट के सामने,
 बाराणसी कजरिये विदेशक नितीश दिव्यानियां पुत्र श्री अनुज कुमार दिव्यानियां विवासी प्लॉट
 नं 44ए, रविन्दपुरी कालोनी, भेलूपुर, शहर बाराणसी व राजन कुमार सिंधी पुत्र स्वर्गीय उत्तम
 प्रसाद सिंधी विवासी मकान नम्बर बी-20/44-ए-3अ, विजया कालन कालोनी, भेलूपुर,
 वाराणसी।

आवृत्ति मूल्यांकन :- 17,39,74,000/-

स्वामि विवरण :-

- प्लॉट नम्बर 393/1 रकबा 2693 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 397/1 रकबा 5489 वर्गमीटर,
- प्लॉट नम्बर 403/2 रकबा 223 वर्गमीटर आराजी नम्बर 404 रकबा 2568 वर्गमीटर व
- प्लॉट नम्बर 405/1 रकबा 5745 वर्गमीटर कुलका पांच गांव रकबा 16718 वर्गमीटर स्थित
 गांव बरईपुर, परगना शिवपुर, तहसील सदर, जिला बाराणसी जिलाधी चौहदरी निम्न है :-
- पथ :- जुज आराजियात नम्बरी 397, 404 व 405 दीगर सकल।
- सिमा :- सड़क आरापुर-आरनाथ मार्ग व जुज आराजियात नम्बरी 393/1 व 403/2 प्रथम पक्ष।
- शहर :- जुज आराजियात नम्बरी 395, 396 व 404 प्रथम पक्ष
 व आराजी नम्बर 406 व 407 दीगर सकल।
- सिमा :- जुज आराजी नम्बरी 397/1 प्रथम पक्ष।

स्वाम्य देयता को प्रभावि कराने वाले अन्य तथ्य :- कुछ जमी

ANGDI COMMERCE PVT. LTD.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT.

SIDDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

Sigheem Kumar Singh

[Signature]
DIRECTOR



[Signature]

दस
रुपये
₹. 10




TEN
RUPEES
₹. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


17AC 989687

- सम्पत्ति नक्शा संख्या
- आराजी नम्बर 393/1 रकबा 1693 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 397/1 रकबा 5489 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 403/2 रकबा 223 वर्गमीटर
- आराजी नम्बर 404 रकबा 2568 वर्गमीटर व आराजी नम्बर 405/1 रकबा 5745 वर्गमीटर कुलका बांध गांव रकबा 16718 वर्गमीटर
- विशाल मौजा बरहंपुर, परगना शिवपुर, तहसील सुंदर, जिला बाराबंकी।



कुछ आराजियात नम्बरी 395, 396 व 404 प्रथम पक्ष व आराजी नम्बर 406 व 407 दीनर सख्त।

सख्त आरापुर-सुंरवाच गांम व कुछ आराजियात नम्बरी 393/1 व 403/2 प्रथम पक्ष।



कुछ आराजियात नम्बरी 397, 404 व 405 दीनर सख्त।

Manoj Yadav
Impan By
Manoj Yadav, Civil Court, Varanasi
Mobile: 9719911111

कुछ आराजी नम्बरी 397/1 प्रथम पक्ष।


GIDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE PVT. LTD.

For-SARANI Commerce PVT. LTD.

GIDHEE VINAYAK INFRAVILLAGE

Sujan Kumar Sr

DIRECTOR




DIRECTOR

Stasiun Pengukuran
Tinggi Air di Sungai

10/10/2023

10/10/2023



10/10/2023